संख्या-7/2025/164/38-6002(002)/4/2021

प्रेषक,

अमनदीप डुली,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च 2025

विषयः-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुदान सं0-81 में अवमुक्त केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की अवशेष धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-5780/4435/आजीविका/लेखा/2024-25, दिनांक-19.03.2025 के क्रम में अवगत कराना है कि निदेशक (आरएल), ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार के पत्र संख्या-J-12036/01/2024-RL (NRLM-24C), दिनांक-19.09.2024, द्वारा एनआरएलएम के अन्तर्गत केन्द्रांश धनराशि रू0-109.44 लाख एवं मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0-72.963 लाख तथा पत्र संख्या-J-12036/01/2024-RL (NRLM-58A), दिनांक-01.01.2025 द्वारा एनआरएलएम के अन्तर्गत केन्द्रांश धनराशि रू0-307.1 लाख एवं मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0-204.733 लाख एवं पत्र संख्या-J-12036/01/2024-RL (NRLM-84C), दिनांक-11.03.2025 द्वारा एनआरएलएम के अन्तर्गत केन्द्रांश धनराशि रू0-307.1 लाख एवं मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0-204.733 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-1206.069 लाख (रूपये बारह करोड छः लाख छः हजार नौ सौ मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किया जाना है। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केंद्राश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

2- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन से वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक 2515796010103 (सामान्य मद केन्द्रांश) में प्राविधानित आय-व्ययक अनुमान रूपये-5373.19 लाख में हो रही बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से संक्रमित कर अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक 2501017960101 के अन्तर्गत धनराशि रूपये-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

723.640 लाख एवं अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक 2515796018903 (सामान्य मद राज्यांश) में प्राविधानित आय-व्ययक अनुमान रूपये-3582.13 लाख में हो रही बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से संक्रमित कर अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक 2501017968901 के अन्तर्गत धनराशि रूपये-482.429 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल धनराशि रू0-1206.069 लाख (रूपये बारह करोड छः लाख छः हजार नौ सौ मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

5. स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्य आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

9. धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो|

11. भारत सरकार के पत्र दिनांक-19.09.2024, दिनांक-01.01.2025 एंव दि0-11 मार्च, 2025 में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 7,23,64,000 (रुपये सात करोड़ तेईस लाख चौंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 081 लेखा शीर्षक 2501017960101 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.) मानक मद 27 सब्सिडी (2) रुपये 4,82,42,000 (रुपये चार करोड़ बयासी लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 081 लेखा शीर्षक 2501017968901 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमनदीप डुली
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।